

काशीलम जिला कलेक्टर, बारा (संज्ञस्थान)

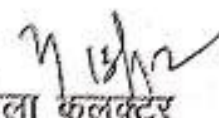
क्रमांक-एम-4(7)(10)एमएन/07/ 6-7-17
आदेश

दिनांक 13/12/2007

गण्डल वन अधिकारी बारा के पत्र संख्या एफ/तक/मवअ/07-08/12888 दिनांक 27.11.07 से विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य कार्यों हेतु प्रयुक्त वन भूमि के एवज में सहमति अनुसार भूमि उपलब्ध किये जाने की मांग की गयी है।

अतः राजस्थान भू संस्करण अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्राग डाक्टर की आराजी खसरा नम्बर 62 एकवा 45 बीघा, 64 एकवा 44 बीघा, 65 एकवा 100 बीघा, 66 एकवा 35 बीघा तथा खजने 67 एकवा 13.14 बीघा कुल कित्ता 5 एकवा 299.12 बीघा भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में गिन्तानुसार उपलब्ध कराने हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम योजना	वन भूमि के एवज में उपलब्ध कराने योग्य एकवा (हेक्टेयर में)	आरक्षित एकवा (हेक्टेयर में)
1	प्रधान मंत्री सड़क योजना छत्रगढ़ से खल्दा	1.55	1.55
2	प्रधान मंत्री सड़क योजना भंवरगढ़ (एन.एच.78) बोरन बाया बोरदा	6.50	6.50
3	प्रधान मंत्री सड़क योजना बसली	1.50	1.50
4	प्रधान मंत्री सड़क योजना जलवाडा से कदीली	3.00	3.00
5	प्रधान मंत्री सड़क योजना भंवरगढ़ (एन.एच.78) से कुन्दा	3.90	3.90
6	प्रधान मंत्री सड़क योजना गोरग से हादापुरा	2.50	2.50
7	प्रधान मंत्री सड़क योजना पाटरी से भटगाँव	1.50	1.50
8	प्रधान मंत्री सड़क योजना पाटरी से सांदरी	0.60	0.60
9	शहीद सिंचाई परियोजना	11.68	11.68
10	लडाही सिंचाई परियोजना	56.27	15.77


जिला कलेक्टर
बारा